शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-647/1-11-2005-4(जी)/2003

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2005

विषयः- वर्ष 2005 में गर्मी की भीषणता (सूखा) से निपटने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसून अवधि में कम वर्षा होने की स्थिति में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे जायद एवं खरीफ की फसलों के लिए सिंचाई, मनुष्यों के लिए पेयजल और विभिन्न बीमारियों तथा पशुओं हेतु पेयजल एवं चारे के साथ-साथ विभिन्न बीमारियों का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल जनपद की सूखा प्रबन्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता है ताकि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर बिना किसी विलम्ब के उसका पूर्ण तैयारी के साथ सामना किया जा सके एवं जन-सामान्य को न्यूनतम असुविधा हो ।

2. सूखा प्रबन्ध योजना बनाने में आपके स्वयं के अनुभव, विभागों की दक्षता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव का सदुपयोग किया जाना लाभप्रद होगा । अतः तत्काल इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर गठित सूखा परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कर ली जाये। बैठक में प्रबन्ध योजना के सभी प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर उसे अंतिम रूप दिया जाये । जनपद की अद्यतन सूखा प्रबंध योजना की एक प्रति शासन के राजस्व अनुभाग-11 को विलम्बतम दिनांक 5 अप्रैल, 2004 तक उपलब्ध करा दी जाय ।

3. यद्यपि प्रत्येक जनपद को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के आधार पर प्राथमिकताएं चिन्हित करनी होंगी किन्तु कतिपय सामान्य बिन्दु, जो प्रत्येक जनपद के लिए सुसंगत है, को नीचे इंगित किया जा रहा है, इन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए :-

(i) पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों की भली प्रकार से मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग करना।

(ii) पेयजल संकट की स्थिति में टैंकर से पेयजल आपूर्ति किया जाना।

(iii) पेयजल के कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराया जाना।

(iv) पशुओं के पेयजल संकट के निवारण हेतु सिंचाई विभाग की नहरों एवं नलकूपों के माध्यम से/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब/पोखरें भरवाना।

(v) सिंचाई के सभी संसाधनों के साथ सरकारी नलकूपों को चालू हालत में रखना । विशेष रूप से नहरों का रोस्टर के अनुसार चलना सुनिश्चित करना।

(vi) खराब नलकूपों का समय से मरम्मत सुनिश्चित करना ।

(vii) नलकूपों/निजी पम्प सेटों के लिए ऊर्जा व डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

(viii) सिंचाई विभाग द्वारा नहरों के अवैध कटान पर कड़ी निगरानी, इस कार्य में जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग महत्त्वपूर्ण है।

(ix) रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(x) खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय के अन्दर बदलना ।

(xi) पशुओं के चारे एवं चारागाहों की व्यवस्था करना ।

(xii) ग्रीष्म काल में चरी में साइनाइड विष उत्पन्न होने की सम्भावना के मद्देनजर इससे बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार करना व पशु चिकित्सालयों में उपचार के समुचित साधन व व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

(xiii) मनुष्यों एवं पशुओं को लू, संक्रामक रोगों व महामारियों से बचाने के लिए आवश्यक निषेधात्मक कार्यवाही एवं सघन चिकित्सा व्यवस्था किया जाना।

(xiv) आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था किया जाना।

(xv) खेतीहर मजदूरों व अन्य जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(xvi) समाज विरोधी तत्वों एवं उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण ।

(xvii) निराश्रितों, वृद्धों, बच्चों और महिलाओं हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

(xviii) मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार प्रसार करना ।

(xix) फसलों में रोग से बचाव हेतु कीट नाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था करना।

(xx) वैकल्पिक फसलों के साथ खाद एवं बीज का समुचित प्रबन्ध किया जाना।

4. आप सभी अवगत हैं कि आपदा राहत निधि का उपयोग विभागीय योजनाओं के संवर्धन, विस्तार या अनुरक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है। ये कार्य संबन्धित विभागों के बजट से ही किए जा सकते हैं। आपदा आ जाने की स्थिति में निर्धारित मदों में ही आपदा राहत निधि से धनराशि व्यय करने की अनुमन्यता है। संभावित आपदा से बचाव के लिए धनराशि व्यय करना अनुमन्य नहीं है।

5. विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इस हेतु पेयजल स्रोतों को चालू हालत में रखने हेतु उसकी मरम्मत या रीबोर कराने तथा नए स्रोत स्थापित करने का दायित्व

Document in Document Scrap "kh_kZ izkFkfedr..."

संबन्धित (पंचायती राज, ग्राम्य तथा नगर विकास) विभागों का है। इस हेतु धन की व्यवस्था भी उन्हें ही करनी है। केवल पेयजल का संकट उत्पन्न होने की स्थिति में इस पूरी अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति पर होने वाला व्यय आपदा राहत निधि से अनुमन्य है।

ग्रामीण क्षेत्र में आपदा राहत निधि से नये हैण्डपम्पों/ट्यूब्वेलों की स्थापना/मरम्मत अथवा रिबोरिंग अनुमन्य नहीं है। नगरीय क्षेत्र में यदि यह स्पष्ट हो कि पेयजल का संकट लम्बे समय तक चलेगा जिसके कारण टैंकर से की जाने वाली जलापूर्ति पर होने वाले व्यय से कम व्यय में नये हैण्ड पम्पों की स्थापना या पुराने हैण्डपम्पों की रिबोरिंग कराई जा सकती है तो यह अनुमन्य होगा। ऐसी विशेष परिस्थिति में स्वीकृत कार्य धन अवमुक्त होने के 15 दिन के अन्दर पूर्ण करा लिये जायें तथा इसका सत्यापन राजस्व अधिकारियों के माध्यम से करा लिया जाये। संकट काल में पेयजल की आपूर्ति पर होने वाला व्यय सूखा शीर्षक के अन्तर्गत शासनादेश संख्या जी.आई.-156/1-11-2004-46/96 दिनांक 01.03.2005 के मद संख्या-9 के अन्तर्गत वहन किया जायगा।

6. मानव एवं पशुओं में किसी प्रकार की महामारी न फैले इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के द्वारा दवा इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। अतः इस मद में महामारी फैलने से पूर्व विभागों को संभावना के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराना अनुमन्य नहीं है। यदि महामारी फैलने पर विभागीय संसाधनों से उसकी रोकथाम में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही हो तो उसके तात्कालिक निदान के लिए आपदा राहत निधि से यह धनराशि उपर्युक्त शासनादेश के मद संख्या 10 एवं 11 के अन्तर्गत व्यय की जा सकती है।

महामारियों के नियंत्रण में किसी प्रकार का विलम्ब न हो इसके लिए चिकित्सा एवं पशुपालन विभागों द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पहले से वांछित दवाओं का चिह्नांकन, मूल्य निर्धारण, स्टॉक प्राप्ति का सत्यापन, वितरण आदि की दोष रहित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

7. वर्षा के अभाव में आजीविका के लिए मजदूरी पर आश्रित खेतिहर मजदूरों की समस्या के निदान हेतु सर्वप्रथम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब इन मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग हो जाये तथा सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कोई अतिरिक्त किश्त प्राप्त करना सम्भव न हो तब उक्त शासनादेश के संलग्न के मद संख्या 4 के अन्तर्गत पूर्ण विवरण एवं औचित्य से युक्त प्रस्ताव राजस्व विभाग को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के समाप्त होने से कम से कम दो माह पूर्व उपलब्ध करायी जाये ताकि वांछित धनराशि समय से आवंटित की जा सके।

8. ग्रीष्म ऋतु में सूखे पदार्थों की अधिकता के कारण आग लगने की सम्भावनाओं में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवन, आवास, पशु और फसल की हानि होती है। इस लिए यह आवश्यक है कि अग्नि काण्ड न्यूनीकरण हेतु आम लोगों को जागरूक बनाया जाये एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन सेवाओं का तत्काल उपयोग हो सके इसकी व्यवस्था पहले से कर ली जाये । अग्निकांड (दैवीय आपदा) प्रभावित व्यक्तियों

Document in Document Scrap "kh_kZ izkFkfedr...'

को शासनादेश संख्या 837/1-11-2004-रा0-11-4(जी)2003 दिनांक 15.4.2004 के अन्तर्गत समय से राहत सहायता उपलब्ध करायी जाये।

9. समय से पर्याप्त वर्षा न होने अर्थात् सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में इसका जायद एवं खरीफ की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की पूर्ण सतर्कता के साथ सतत समीक्षा की जाये। इस कार्य में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों का विशेषज्ञ परामर्श एवं सहयोग भी प्राप्त किया जाए। जनपद में अवर्षण के कारण खरीफ की फसलों की क्षति के सम्बन्ध में दिनांक 30 जून, 10 जुलाई, 25 जुलाई एवं 31 जुलाई को निर्धारित प्रारूप पर फसलवार विवरण उपलब्ध कराया जाये।

10. दिनांक 1.4.2005 से 31.8.2005 तक पेयजल, विद्युत आपूर्ति, महामारी आदि के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर सूचना प्रत्येक सोमवार को वेब-साइट, जिसका पता **http://upgov.up.nic.in/rahat** है, पर उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय,

(अनन्त कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 847(1)/1-11-2005-4(जी)/2003, तद्दिनांक 10 मार्च 2005

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने विभाग से सम्बंधित सूखे की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग-11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जलसंसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
10- प्रमुख सचिव, वन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Document in Document Scrap "lh_kZ izkFkfedr..'

शासनादेश संख्या 847/1-11-2005-4(जी)/2003, तद्दिनांक 10 मार्च 2005 का संलग्नक।

जनपद का नामः

1. रिपोर्ट का दिनांक :

2. मौसम की स्थिति :

क्रम सं0	तिथि (1)	तापमान		वर्षा (मि.मी. में) (4)
		अधिकतम (2)	न्यूनतम (3)	
1	सोमवार			
2.	मंगलवार			
3.	बुद्धवार			
4.	गुरुवार			
5.	शुक्रवार			
6.	शनिवार			
7.	रविवार			

3. विद्युत आपूर्ति (घंटो में)
   (क) मण्डल मुख्यालय-
   (ख) जिला मुख्यालय-
   (ग) ग्रामीण क्षेत्र-
4. डीजल की उपलब्धता की स्थिति-
5. नहरों की स्थिति -
   कुल टेलों की संख्या-
   जिन टेलों पर पानी नहीं पहुंचा उनकी संख्या-
6. हैंड पंम्पों/सरकारी नलकूपों की स्थिति-

क्रम सं0	मद	जनपद में कुल संख्या (1)	खराब की संख्या (2)	15 दिन से अधिक खराब की संख्या (3)
1.	हैण्ड पम्प			
2.	सरकारी नलकूप (पेयजल)			
3.	सरकारी नलकूप (सिंचाई)			

Document is Document Scrap "kh_kZ izk!"kfedr..."

क्रम सं0	विवरण	पेयजल समस्या से ग्रस्त	महामारी प्रभावित	पशु रोग प्रभावित	चारे की कमी
1.	ग्रामों की संख्या				
2.	नगरों की संख्या				
3.	नगरपालिकाओं की संख्या				
4.	नगर निगमों की संख्या				

नोट :

1. प्रत्येक बिन्दु की सूचना अवश्य अंकित की जाए।
2. यदि वांछित सूचना पूर्व में भेजी गई सूचना की पुनरावृत्ति हो तो भी उसे अंकित किया जाए।
3. यदि सूचना शून्य हो तो स्पष्टतया "शून्य" अंकित किया जाए।
4. यदि सूचना उपलब्ध न हो तो 'उ0 न0' अंकित किया जाए।

Document in Document Scrap "lsh_kZ izkFkfedr..."